न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 87/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/147

प्रार्थीः—

ओम प्रकाश पुत्र हंसराज जाति वैष्णव निवासी रामपुरा ग्राम पंचायत कलाली पंचायत समिति रोहट हाल निवासी नयापुरा चौखा तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. संतोष देवी पत्नी भैरूदास जाति वैष्णव निवासी रामपुरा ग्राम पंचायत कलाली पंचायत समिति रोहट जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत कलाली पंचायत समिति रोहट जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भैराराम परिहार।

—: निर्णय :—

दिनांक : 24.7.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत कलाली द्वारा मिसल संख्या 50/2021—22, बुक संख्या 30 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 संतोष देवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 16.11.2021 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत कलाली द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड का पूर्व में मिसल संख्या 151 बुक संख्या 32 की पालना में प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 16 दिनांक 05.09.2014 जारी किया गया था, जिसका नवीनीकरण दिनांक 22.06.2015 को करवाया गया तथा उक्त पट्टा वर्तमान में भी प्रभावी है। जैर निगरानी पट्टा प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत बिना किसी जांच पडताल के पंचायत नियमों से परे जाकर ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक तरीके से जारी किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा रहवासीय निर्माण भी किया हुआ है तथा उक्त भूखण्ड प्रार्थी आदिनांक तक काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव पेश कर अवगत करवाया कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध जारी होने से उक्त पट्टे को उनके द्वारा ग्राम पंचायत में सरेन्डर कर दिया गया है। अतः उक्त निगरानी को स्वीकृत फरमाते हुये विधिविरूद्ध जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज करावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत कलाली द्वारा मिसल संख्या 50/2021—22, बुक संख्या 30 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 संतोष देवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 16.11.2021 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर अवगत करवाया कि "जैर निगरानी भूखण्ड आबादी क्षेत्र में होने से प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत कलाली ने जैर निगरानी पट्टा मेरे पक्ष में जारी किया, जिसको मैने पुनः ग्राम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

पंचायत में सरेन्डर कर दिया है, वापस मुझे इस पट्टे की आवश्यकता नहीं है।'' साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2022 में भी यह स्पष्ट अंकित है कि ग्राम पंचायत कलाली द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड का प्रार्थी ओमप्रकाश के पक्ष में पट्टा संख्या 16 दिनांक 05.09.2014 को जारी किया गया था तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ने उसी स्थल का पट्टा संख्या 15 अप्रार्थी संतोषदेवी के पक्ष में जारी कर दिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी पट्टे को खारिज करवाने हेतु ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र व 50 रूपये के स्टाम्प पर जैर निगरानी पट्टे की भूमि समर्पण बाबत् समर्पणनामा प्रस्तुत किया। लिहाजा यह सुस्पष्ट कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी भूखण्ड पर पूर्व में जारी पट्टे पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कलाली द्वारा मिसल संख्या 50/2021–22, बुक संख्या 30 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 संतोष देवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 16.11.2021 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली